प्रेस विज्ञप्ति

बिजनौर 11 अक्टूबर,2018:– आज कृष्णा फार्म में आयोजित किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत समेकित बाल सरंक्षण योजना के संबंध में जनपद स्तरीय कार्यशाला का मुख्य अतिथि डॉ0 विशेष गुप्ता, अध्यक्ष, राज्य बाल सरंक्षण आयोग, उ0प्र0 एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने सयुक्त रूप से दीप प्रज्जलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

कार्यशाला का संचालन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री के0एम0 सिंह, द्वारा किया गया है। कार्यशाला के प्रारम्भ में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री संजय कुमार कार्यशाला के उद्देश्यो तथा संक्षिप्त रूप से रेखा प्रस्तुत की। तत्पश्चात बाल श्रम पर श्रम प्रर्वतन अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के अर्न्तगत बाल संरक्षण के प्रावधानों के बारे में विस्तार में बताया गया। बाल विकास एवं पुष्ठाहार की योजनाओं पर श्री राम साहब यादव द्वारा प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार से बाल कल्याण समिति की भूमिका सदस्य, श्री ओम प्रकाश वर्मा द्वारा बताया गया। माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा वर्मा द्वारा किशोर न्याय (बालको की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है। तथा माननीय सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश सिंह ने बच्चों के संबन्ध में अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बताया गया। विशेष किशोर पुलिस इकाई के रूप में पुलिस की भूमिका पर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री दिनेश सिंह द्वारा अपने विचार व्यक्त कियें।

डॉ0 विशेष गुप्ता, अध्यक्ष, राज्य बाल सरक्षंण आयोग, उ0प्र0 ने अपने सम्बोधन में बताया कि प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा पोषित समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की गयी है, जिसके अनुसार जनपद में 18 बर्ष से कम आयु के शिशु/बालक/बालिका हेतु बाल संरक्षण के सशक्त संरणक्षात्मक परिवेश का निर्माण उचित पालन पोषण करने, परिवार की देख–रेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, बच्चों को हिंसा व दुर्व्यवहार से बचाने के उद्देश्य से जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम सभा स्तर पर बाल संरक्षण इकाई का गठन किया जाना अपरिहार्य है। उन्होने कहा कि बाल संरक्षण समिति प्रत्येक 03 माह पर अनिवार्य रूप से बैठक करेगी और जिसमें ब्लॉक/ग्राम सभा के बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देख–रेख संबंधी बिन्दुओं की समीक्षा होगी। डॉ0 गुप्ता ने बताया कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ब्लॉक/ग्राम स्तर पर बाल श्रम, बाल यौन शोषण, पलायन, ट्रैफिकिंग अथवा किसी प्रकार की बच्चों के साथ क्रूरता जैसा व्यवहार तो नही हो रहा है तथा इस प्रकार की किसी घटना के संज्ञान में आने पर समस्त तथ्यों का संकलन करते हुऐ सम्बन्धित थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड को तत्काल कार्यवाही के लिए सूचित करे।

डॉ0 विशेष गुप्ता ने कार्यशाला में उपस्थित बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल संरक्षण समितियॉ अपने अधीनस्थ क्षेत्र में आर्थिक अभाव से बच्चों का लालन–पालन हेतु सशक्त बनाने का प्रयास करे और बच्चो को शिक्षित न करने वाले गरीब एवं असहाय परिवारों को चिन्हित कर प्रवर्तकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु समेकित बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने अपने सम्बोधन में कहा कि ब्लॉक/ग्राम बाल संरक्षण समिति क्षेत्र में नवीन आगन्तुक बच्चों, ग्राम से बाहर गये बच्चों एवं कारित अपराध में आरोपित बच्चों के संबंध में समय–समय पर सूचना एकत्र करे और उस सूचना को जिला बाल संरक्षण समिति एवं विशेष

किशोर पुलिस इकाई को अवगत कराये। उन्होने समस्त विकास खण्ड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्लॉक/ग्राम बाल संरक्षण समिति 18 वर्ष से कम आयु के संवेदी शिशु/वालक/बालिका के संबंध में समस्त खण्ड विकास एवं ग्राम की बाल संरक्षण समितियों का गठन कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

इस अवसर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 राकेश मित्तल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश सिंह, सीमा वर्मा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, एस0पी0 सिटी दिनेश सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, परियोजना निदेशक विजय प्रकाश श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज यादव, विभिन्न स्कूलो की छात्राऐ आदि समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

————x————

निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित

जिला सूचना अधिकारी
बिजनौर।